सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले को गुरुग्राम से पकड़ा

आरोपी ने बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी की थी

जयपुर/निवाई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी जॉइनिंग लेटर थमा लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठग दीपक कुमार मीणा पुत्र लल्लू राम (34) निवासी गढवास कोहरा मलावली थाना लक्ष्मणगढ़ (जिला अलवर) को गुरुग्राम से डिटेन कर लिया, जिसे बाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए टोंक जिले की बरौनी पुलिस को सौंपा गया। आरोपी पर टोंक एसपी द्वारा 25 हजार का इनाम घोषित है।

अतिरिक्त महानिदेशक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर हार्डकोर बदमाशों एवं लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधियों की धरपकड़ एवं आसूचना संकलन के लिए उप महानिरीक्षक पुलिस योगेश यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में एजीटीएफ की टीमों को प्रदेश के अलग-अलग शहरों में भेजा गया है। इसी क्रम में पुलिस उप निरीक्षक सुभाष सिंह तंवर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 25 हजार के इनामी दीपक मीणा को गुरुग्राम से डिटेन किया गया।

साल 2021 में परिवादी देवी शंकर कीर और विजय सिंह कीर निवासी मुख्तयार नगर थाना बरौनी टोंक ने एक रिपोर्ट थाना बरौनी पर दर्ज कराई कि दीपक कुमार मीणा, मनराज कीर व हंसराज कीर ने एफसीआई एवं भारतीय डाक विभाग में भर्ती कराने के नाम पर फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर 10 लाख 70 हजार रुपये अपने खाते में जमा करवा ठगी की है। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर बरौनी पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी मनराज व हंसराज निवासी मुख्त्यार नगर को गिरफ्तार कर लिया था। मुल्जिम दीपक मीणा प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गया। प्रकरण दर्ज होने के बाद ही मुख्य अभियुक्त दीपक मीणा अपने निवास स्थान से फरार हो गया। फरारी के दौरान भी बेरोजगार युवकों से अपनी टीम के माध्यम से ठगी का कार्य कर रहा था। मुल्जिम दीपक बहुत ही शातिर किस्म का है। वह ना तो अपने पास मोबाइल रखता है और ना ही किसी सोशल मीडिया का प्रयोग करता है। आरोपी अपने साथी सदस्य के मोबाइल से ही सोशल मीडिया एप काम में लेता है। किसी भी टीम मेंबर को अपने साथ 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं रखता है। गांव से भागने के बाद मुल्जिम दीपक गुड़गांव, दिल्ली, पटना, कानपुर व अन्य शहरों में टीम के सदस्यों के साथ रहने लगा।

दीपक मीणा शातिर किस्म का बदमाश है, मुल्जिम पिछले दो साल से अपने गांव भी नहीं आ रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी टोंक द्वारा 25 हजार का इनाम घोषित किया गया। एजीटीएफ टीम द्वारा इसकी गुड़गांव, दिल्ली, कानपुर व पटना में तलाश की गई। तलाश के दौरान एजीटीएफ टीम के हैड कांस्टेबल कमल डागर और हैड कांस्टेबल सुरेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि दीपक मीणा आज पालम विहार गुरुग्राम में किसी से मिलने आ रहा है। सूचना पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम के सदस्य कमल डागर, सुरेश कुमार व चालक श्रवण कुमार गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर दीपक मीणा अपने टीम के किसी सदस्य से मिलने आया हुआ था, जिसे डिटेन किया जाकर पुलिस थाना बरौनी को सुपुर्द किया गया।

बेरोजगार लोगों से ठगी करने के लिए इस गिरोह ने विभिन्न शहरों में नेटवर्क फैला रखा है। गिरोह के सदस्य जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, पटना, कानपुर व अन्य शहरों में रहकर वहां पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार व कमजोर वर्ग के छात्रों को बहला फुसलाकर कर सरकारी जॉब दिलाने के बहाने से राजी कर रुपये प्राप्त कर उन्हें फर्जी जॉइनिंग लेटर देते हैं। नौकरी ज्वाइन करने संबंधित विभाग के पास पहुंचने पर पीड़ित को ठगी का एहसास होता है। बरोनी थानाधिकारी मानवेन्द्रसिंह ने बताया कि आरोपी तीन साल से फरार था तथा पुलिस ने 25 हजार का इनाम रखा था। थानाधिकारी ने बताया कि अरोपी के दो साथी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके है। पुलिस ने आरोपी मीणा को गुरूग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया है।

बरोनी पुलिस थाने में गिरफ्तार ठगी का आरोपी दीपक कुमार मीणा।

- आरोपी ने फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर दो जनों से 10.70 लाख की ठगी की थी

भाबरु थाना पुलिस को लूट की झूठी सूचना देना महंगा पड़ा

पुलिस ने पिकअप चालक व उसके साथी को नकदी सहित गिरफ्तार किया

लूट की झूठी सूचना देने के मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया।

पावटा, (निसं)। लूट की झूठी सूचना देना एक पिकअप चालक को महंगा पड़ गया। भाबरु थाना पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख 52 हजार रुपये उसके पास से बरामद कर लिये।

जानकारी देते हुए कोटपूतली-बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि भाबरु थाना पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी चतरपुरा श्याम मंदिर के पास लावारिश हालात में खड़ी है। जिसका ड्राइवर साइड का शीशा टूटा हुआ है। जिस पर भाबरु थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को सुरक्षार्थ भाबरु थाना परिसर में खड़ा करवाया।

- पिकअप चालक के कब्जे से 10.52 लाख रुपये बरामद किये

इसके बाद जानकारी जुटाने पर पिकअप चालक नेमीचंद व उसके साथी कानाराम ने अपने साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा गाडी आडी लगाकर 10 लाख 52 हजार रुपये की धनराशि व मोबाइल लूट कर ले जाना बताया।

उसके बाद पिकअप गाड़ी मालिक विजय सैनी ने अपने पिकअप चालक व उसके साथी के खिलाफ लूट की झूठी घटना की सूचना देकर धनराशि हडपने का मामला पंजीबद्ध करवाया, जिस पर त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली नेम सिंह के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर रोहित सांखला के सुपरविजन में भाबरु थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान करते हुए मुल्जिम पिकअप चालक नेमीचंद पुत्र लच्छुराम निवासी सेपटपुरा व कानाराम पुत्र बाबूलाल निवासी बरवाड़ा को गिरफ्तार कर मालिक के हड़प की गई राशि बरामद कर मुल्जिमों को न्यायालय मे पेश कर सब जेल कोटपुतली भिजवाया गया।

हादसों में दो जनों की मौत

निवाई, (निसं)। बरोनी थानान्तर्गत गांव कीरों की ढाणी चिरोंज के पास एक कार चालक ने एक बाइक के टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार घायल हो गया। बरोनी थानाधिकारी मानवेन्द्रसिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब सात बजे सूरजमल वर्मा पुत्र गजानद वर्मा निवासी चिरोंज अपने खेत से कार्य करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर आ रहा था। इसी दौरान कीरों की ढाणी के पास पीछे से आ रही कार के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर उसकी बाइक के टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। घायल को 108 एंबुलेंस से सआदत अस्पताल टोंक में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। वहीं बरोनी थाना क्षैत्र के सिरस रेलवे स्टेशन और नला गांव के बीच स्थित पोल संख्या 52/17 के सामने ट्रेन आगे आकर युवक धनराज बैरवा पुत्र मनोहर लाल बैरवा निवासी थाना बरोनी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

अनुसंधान में पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित नहीं, छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

जालोर, (कासं)। पॉक्सो न्यायालय जालोर के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने बुधवार को एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी को अनुसंधान अधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित नहीं करने से दोष मुक्ति किया गया। वहीं न्यायाधीश ने एक पीड़िता को अनुसंधान अधिकारी अजीतपालसिंह की लापरवाही के चलते न्याय नही मिलने से आईजी जयपुर को निर्देशित किया कि अनुसंधान अधिकारी को साईबर अपराध की जानकारी दी जाये।

प्रकरण के अनुसार पीड़िता की माता ने 2 मई 2024 को रामसीन पुलिस थाना में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पुत्री की इंस्टाग्राम आईडी पर बार बार मैसेज आने पर उसकी पुत्री ने उसे लड़की समझकर मित्रता कर इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिये बाते करने लगी। करीब तीन माह पूर्व उसकी पुत्री किराणा का सामान लेने गई हुई थी उस दौरान तीन व्यक्ति मुँह पर नकाब पहनकर तीन मोटरसाइकिल लेकर आये तथा उसकी पुत्री को कोई सुंधाकर अपहरण कर सुनसान जगह लेकर गये। वहां उसे डरा-धमका कर उसके अश्लील व आपत्तिजनक विडियो बनाये। इसके बाद अश्लील विडियो वायरल इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर वायरल करने की धमकियां देकर छेड़छाड़ करने लगे। अभियुक्त ने उसकी लड़की के अश्लील वीडियो अन्य लोगों की आईडी पर वायरल कर उसे बदनाम कर दिया। वहीं अभियुक्त और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। साथ ही अश्लील फोटो व वीडियो डिलीट करने के एवज में पच्चीस हजार रूपये भी मांग रहा हैं। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोप न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पॉक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने अनुसंधान अधिकारी अजितपालसिंह द्वारा इंस्टाग्राम आईडी के बारे में अनुसंधान नहीं करने से अश्लील वीडियो की बात अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका। जिसका लाभ अभियुक्त को मिलने पर अभियुक्त को दोषमुक्ति किया गया। वहीं अनुसंधान अधिकारी द्वारा सही अनुसंधान नहीं कर पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में नहीं रखने से अभियुक्त को लाभ मिला। इसके लिए न्यायाधीष ने पुलिस महानिदेशक जयपुर को निर्णय की प्रति इस निर्देश के साथ भेजी कि अनुसंधान अधिकारी अजितपालसिंह को साईबर अपराधों से संबंधित प्रकरणों के अनुसंधान के लिए राजस्थान पुलिस एकेडमी या अन्य किसी संस्थान में भिजवाया जाये। ताकि वह यह समझ पाये कि साईबर अपराधों के संबंध में किस प्रकार से प्रभावी अनुसंधान किया जाता है।

- न्यायाधीश ने अनुसंधान अधिकारी को साईबर जानकारी कराने को लेकर आईजी को निर्देश दिये

लेपर्ड ने छह जनों को घायल किया

टोंक, (निसं)। एक खूंखार लेपर्ड (बघेरा) का कहर देखने को मिला। इस दौरान एक लेपर्ड ने खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मंगलवार शाम खेत में काम कर रही युवती पर लेपर्ड (बघेरा) ने हमला कर दिया, इस बीच आसपास काम कर रहे लोग उसे बचाने दौड़े, तो लेपर्ड ने उन पर भी हमला कर दिया। फिलहाल दो घायलों को टोंक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सनसनी फैला देने वाला यह मामला जिले के देवली उपखंड के चांदसिंहपुरा पंचायत के ठिकरिया कला गांव का है।

कार्यालय नगर परिषद् जैसलमेर (राज.)

क्रमांक :- विद्युत/2024-25/81 दिनांक :- 15/10/2024

निविदा सूचना विद्युत/2024-25/04 NIB Code : DLB2425A3381

नगर परिषद् जैसलमेर की ओर से आपूर्तिकर्त्ता फर्म व नगर परिषद् जैसलमेर में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से विभिन्न आपूर्ति कार्यो हेतु ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाइन ई-निविदा से संबंधित कार्य की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्तें आदि वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

उक्त कार्य के UBN No. DLB2425A3381

आयुक्त
नगर परिषद जैसलमेर

राज.संवाद/सी/24/6623

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, चंवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड

क्रमांक-/निविदा2024-25/लेखा प्रथम/1637-52 दिनांक-10.10.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 02 वर्ष 2024-25

इस कार्यालय में राजस्थान के राज्यपाल की ओर से बांध एवं नहर के मरम्मत कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निवदा से संबंधित समस्त विवरण वैब साईट www.dipronlne.rajasthan.gov.in, www.waterresources.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in & www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

1. WRD2425WSOB00842, 2. WRD2425WSOB00843, 3. WRD2425WSOB00844, 4. WRD2425WSOB00845, 5. WRD2425WSOB00846, 6. WRD2425WSOB00847, 7. WRD2425WSOB00848

(वीरेन्द्र सिंह)
चंवली परियोजना नहर खण्ड
झालावाड़ (राज.)

DIPR/C/9905/2024

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV.I JAISALMER

No. EE/JSM-I/24-25/1278 Date: 10.10.2024

NOTICE INVITING BID
Short Term NIT No. 10 Year 2024-25

Bids for Various Building Mtc and Construction work are invited from interested bidders 14.10.2024 to 21.10.2024 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, htpp://sppp.raj.nic.in) of the state, and https://pwd.rajasthan.gov.in. The approcimate value of the procurement is Rs 158.28 Lacs

NIB No. - PWD2425A2094
UBN No- 1. PWD2425WSOB07695, 2. PWD2425WSOB 07697,
3. PWD2425WSOB 07700, 4. PWD2425WSOB 07702
5. PWD2425WSOB 07705, 6. PWD2425WSOB 07707
7. PWD2425WSOB 07710

(Bhakar Ram)
Executive Engineer
PWD Div.I Jaisalmer

DIPR/C/9888/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला खण्ड जैसलमेर

क्रमांक/अधि.अभि./निविदा/जैसल/2024-25/1522-32 दिनांक- 09.10.2024

बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या 6/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जन स्वा. अभि. विभाग राजस्थान के अन्तर्गत इस खण्ड के अधीन विभिन्न सिविल एवं अन्य कार्यो हेतु अनुमानित लागत रु. 29.77 लाख के कुल 1 कार्य हेतु राजस्थान सरकार के अधीन पंजीकरण नियमों के तहत उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाएं दिनांक 22.10.2024 सायं 06.00 बजे तक डॉउनलोड की जाकर दिनांक 23.10.2024 को सायं 1.00 बजे बिड शुल्क, ई-प्रक्रिया शूल्क, धरोहर राशि का चालान भौतिक रूप से इस कार्यालय में जमा कर उसी दिनांक 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से संबंधित विवरण DIPR की वेबसाइट WWW.dipronline.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। निविदा संख्या 6/2024-25 का विभागीय वेबसाइट www.sppp.raj.nic.in से प्राप्त NIB NO-PHE2425A2431 निम्न प्रकार से है UBN NO. PHE2425WSOB05291

(प्रेम राम) अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला खण्ड-जैसलमेर

DIPR/C/9872/2024

500 किलो संदिग्ध मावा जप्त किया

भीलवाड़ा, (निसं)। "शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान के तहत भीलवाड़ा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 500 किलो संदिग्ध मावा जब्त किया है।

- मावे का सैंपल लेते हुए जांच के लिए अजमेर भिजवाया

सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया कि खाद्य निरीक्षक टीम द्वारा शहर में स्थित रामा स्वीट्स पर आकस्मिक जांच की गई जिसमें मौके पर बड़ी मात्रा में संदिग्ध मावा मिला। मावे का सैंपल लेते हुए जांच के लिए अजमेर भिजवाया गया हैं वहीं टीम ने मावा जब्त कर अठिाम कार्यवाही को अंजाम दिया। शहर के दीपावली पर्व को लेकर नकली और मिलावटी मावे की खपत बढ़ने की शिकायतें लगातार सामने आने के बाद स्वास्थ विभाग ने अभियान की शुरुआत की है। 500 किलो मावा जप्ती की कार्यवाही के बाद मिलावटखोर मिठाई व्यवसायियों में दहशत का माहौल है।

भीलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संदिग्ध मावा जप्त किया।

कोचिंग के वॉशरूम में सफाईकर्मी ने कैमरा लगाया

कोटा, (निसं)। शहर के कैथूनीपोल थाना इलाके के एक कोचिंग संस्थान के टॉयलेट में छिपाकर मोबाइल कैमरे से लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने कई गर्ल्स के वीडियो भी इस दौरान रिकॉर्ड कर लिए। मंगलवार को इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद कोचिंग संस्थान ने पुलिस को सूचना दी।

कोटा सिटी एसपी डॉ. अमृता दुहन का कहना है कि आरोपी कोचिंग संस्थान में सफाईकर्मी है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसके मोबाइल में कुछ वीडियो भी मिले हैं। पुलिस उप अधीक्षक तृतीय राजेश कुमार टेलर का कहना है कि आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आरोपी मोबाइल को कब से वॉशरूम में जाकर रख रहा था यह भी जांच का विषय है। प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि वह दो-तीन दिन से मोबाइल वॉशरूम में रख रहा था।

इस संबंध में फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी जिससे साफ होगा कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी। कोई वीडियो वायरल हुआ है या नहीं। इस पर डीएसपी टेलर का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। उसके मोबाइल में कुछ वीडियो जरुर मिले हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

जांच कमेटी ने रिश्वतकांड मामले में डॉ. महेश बैरवा को राहत देने की कोशिश की

शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभाग ने दोनों घूसखोर डॉक्टरों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में गत दिनों डॉक्टर महेश बैरवा और डॉक्टर दिनेश बैरवा के द्वारा चलाए जा रहे इलाज के नाम पर अवैध वसूली और रिश्वतखोरी के रैकेट का खुलासा होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया।

शिकायतकर्ता यश कुमार सिंधी का आरोप है कि विभाग ने दोनों घूसखोर डॉक्टरों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए और इसी का नतीजा है कि जांच कमेटी में शामिल डॉ. दिनेश बैरवा, डॉ. वीरेंद्र शर्मा और अन्य डॉक्टरों की टीम ने रिश्वत कांड को अंजाम देने वाले मुख्य डॉक्टर महेश बैरवा को मेडिकल परिस्थितियों का हवाला देते हुए सही ठहराते हुए राहत देने की कोशिश की है। हालांकि पीड़ित शिकायतकर्ता यश कुमार सिंधी ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे, उसके बावजूद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कमेटी की रिपोर्ट को सही मानते हुए अपने डॉक्टर महेश बैरवा को बचाने के लिए सही गलत का फर्क किए बिना ही सारे आरोपों को झुठला दिया।

जानकारी के अनुसार गत दिनों मांडलगढ़ निवासी शिकायतकर्ता यश कुमार सिंधी ने अपने पिता मुरलीधर सिंधी के पैर के ऑपरेशन के नाम पर 28 हजार रुपए की मांग करने की शिकायत डॉक्टर महेश बैरवा के खिलाफ दर्ज करवाई थी। शिकायत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह ने डॉक्टर दिनेश बैरवा, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा और एक अन्य डॉक्टर को शामिल कर तीन सदस्य जांच कमेटी का गठन किया।

डॉक्टर महेश बैरवा।

टीम में शामिल सदस्य द्वारा ही पीड़ित को धमकाए जाने की शिकायत भी सामने आई, लेकिन विभाग ने जांच के नाम पर लीपापोती करने की नीयत से धमकी देने वाली कमेटी की जांच को ही सही मान लिया और पीड़ित के पक्ष को सुनना भी जरूरी नहीं समझा। पीड़ित ने लिखित बयानों में न सिर्फ डॉक्टर महेश बैरवा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए बल्कि टीम में शामिल डॉक्टर दिनेश बैरवा पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन विभाग ने आरोपों को दरकिनार करते हुए अपने डॉक्टर बैरवा ब्रदर्स को बचाने के लिए मेडिकल परिस्थितियों का हवाला देते हुए जांच के नाम पर लीपापोती कर ली।

अब इस मामले में एक और जहां पीड़ित यश कुमार सिंधी ने तथ्यों और सबूतों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की शुरुआत कर दी है तो वहीं दूसरी ओर एक और अन्य पीड़ित आफताब मुल्तानी ने लिखित में कलेक्टर नमित मेहता, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉ. वर्षा सिंह और पीएमओ एमजी हॉस्पिटल डॉ. अरुण गौड़ को डॉक्टर महेश बैरवा के खिलाफ शिकायत देकर विभाग की नींद उड़ा दी है। जिस घूसखोर डॉक्टर को बचाने के लिए विभाग जोर लगा रहा था, उसके खिलाफ लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लगातार घूसखोर डॉक्टर बैरवा के खिलाफ शिकायतें आने के बावजूद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम का बेजा इस्तेमाल करने वाले डॉ. बैरवा ब्रदर्स के खिलाफ कार्यवाही करने से करता रहा विभाग उल्टा उन्हें बचाने में जुटा हुआ है। अब मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल वर्षा सिंह आफताब की शिकायत पर दोबारा जांच कमेटी का गठन करने की बात कर रही है।

- आरोप है कि डॉक्टर महेश बैरवा को मेडिकल परिस्थितियों का हवाला देते हुए सही ठहराते हुए राहत देने की कोशिश की
- मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कमेटी की रिपोर्ट को सही मानते हुए डॉक्टर महेश बैरवा को बचाने के लिए सारे आरोपों को झुठला दिया

UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR
DEPARTMENT OF PHYSICS

TENDER NOTICE

Offline Technical and Financial Bids are invited up to 22nd October 2024 at 3:00 pm for the provision of food and beverages for the International Conference ICMTP-2024 to be held from 21st November to 23rd November 2024 in the Department of Physics, University of Rajasthan, Jaipur, under the RUSA 2.0 project 6.0. The details of the tender can be viewed and downloaded in the Bidding Document available at our office or on the website: http://sppp.rajasthan.gov.in and www.uniraj.ac.in.

NIB No.: URA2425A0042, UBN No.: URA2425SSOB00125

Dr. Sarita Kumari
Convener ICMTP-2024

Prof. Mangej Singh
Chairperson ICMTP-2024

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दुरभाष सं. 0294-2421255, 2420013, Helpline no.0294-2426262 वेबसाइट- www-udaipurmc.org

क्रमांक : एस.के./2024-25/2003 दिनांक :- 01.10.2024

(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई-10/2024-25

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा व्हील बेरोज सप्लाई कार्य सप्लाई कार्य की वार्षिक दर संविदा हेतु कुल राशि रु0 22.67 लाख के कार्य हेतु MSME में पंजीकृत निविदाकारो से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यो की प्रारम्भ तिथि 09.10.24 एवं अंतिम तिथि 21.10.24 तथा निविदा खुलने की तिथी 22.10.24 रहेगी। निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।

UBN No. UNP2425GLOB00119

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

राज.संवाद/सी/24/6522